# विधि

प्रश्न-पत्र—I

# LAW

Paper—I

| | |
|---|---|
| समय : तीन घंटे<br>Time Allowed : Three Hours | अधिकतम अंक : 250<br>Maximum Marks : 250 |

## प्रश्न-पत्र सम्बन्धी अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें।

कुल आठ (8) प्रश्न दो खण्डों में दिए गए हैं तथा वह हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे हुये हैं।

परीक्षार्थी को कुल पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न क्रमांक 1 एवं 5 अनिवार्य हैं। शेष प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम से कम एक प्रश्न चुनते हुए तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक प्रश्न के अंत में सूचित हैं।

प्रवेश-पत्र में प्राधिकृत माध्यम में उत्तर लिखना आवश्यक है तथा यह क्यूसीए (Question-cum-Answer) पुस्तिका में निर्दिष्ट जगह पर उल्लेख करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गये उत्तरों को अंक नहीं दिये जायेंगे।

प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किये गये शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तर क्रमिक विन्यास में गिने जायेंगे। नहीं काटे गए प्रश्न के उत्तर को भी गिनती में लिया जायेगा यद्यपि उसके उत्तर आंशिक रूप में दिए गए हों। उत्तर-पुस्तिका में कोई पन्ना या पन्ना के अंश अगर खाली हैं तो उसे/उन्हें स्पष्ट रूप से काट देना जरूरी है।

---

## QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

**Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.**

There are **EIGHT** questions divided in **Two Sections** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Question no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** from each section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in chronological order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

---

खण्ड—अ

## SECTION—A

Q.1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए (प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए) :—

**Answer the following (each answer should be in about 150 words) :—** 10×5=50

Q. 1(a) निदेशक सिद्धान्तों के निर्वचन में क्या न्यायपालिका बाधक है या सहायक ? सर्वोच्च न्यायालय के विविध निर्णयन के आलोक में परीक्षण कीजिए।

Has judiciary been a hindrance or a facilitator in the interpretation of Directive Principles ? Examine in the light of various judgements of the Supreme Court. 10

Q. 1(b) "मौलिक कर्त्तव्य केवलमात्र नीतिशास्त्रीय या नैतिक कर्त्तव्य हैं एवं इन्हें मौलिक नियम का एक अंग नहीं बनना चाहिए।" टिप्पणी कीजिए।

"Fundamental duties are only ethical or moral duties and should not form a part of the fundamental law." Comment. 10

Q. 1(c) क्या 'वाणिज्यिक विज्ञापन' 'भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की परिधि के अंतर्गत समाविष्ट है ? मुख्य मुकदमों की सन्दर्भसहित चर्चा कीजिए।

Is 'Commercial advertisement' covered within the ambit of 'freedom of speech and expression' ? Discuss with reference to leading cases. 10

Q. 1(d) धारा 16(4) को हटाने के संशोधन एवं समाज के पिछड़े वर्ग को सेवाओं में आरक्षण देने का नियम बनाने के लिये राज्य को प्राधिकृत करने की संवैधानिक आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

Critically examine the constitutional validity of an amendment deleting Article 16(4) and authorising the State to make job reservation in favour of the backward classes of citizens. 10

Q. 1(e) संविधान के अधीन समानता का सिद्धांत एक गैर-कानूनी कार्य को वैध ठहराने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या अन्य नीतिविरुद्ध को औचित्यपूर्ण करने के लिए समानता की सहायता ली जा सकती है ? वादों के सन्दर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Doctrine of equality under the Constitution cannot be applied to legitimise an illegal act. Can equality be invoked to justify another wrong ? Critically examine with reference to cases. 10

Q. 2(a) क्या आप इस मत से सहमत हैं कि "समानता स्वेच्छा का वैपरीत्य है ? वास्तव में समानता एवं स्वेच्छाचारिता अधिष्ठित दुश्मन हैं" ? आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।

Do you agree with the view that "Equality is antithesis of arbitrariness. In fact equality and arbitrariness are sworn enemies" ? Comment critically. 25

Q. 2(b) "भारतीय संविधान केवल शासकीय कार्यकलापों के त्रि-विभाग में विभाजन का स्वाक्षर करता है एवं इसके सार्वभौमिक कठोरता में अधिकार पृथक्करण के सिद्धांत में नहीं।" टिप्पणी कीजिए।

"The Constitution of India merely subscribes to three-fold division of gubernatorial functions and not to the doctrine of separation of powers in its absolute rigidity." Comment. 25

Q. 3(a) प्रस्तावना (भूमिका) में विनिर्दिष्ट लक्ष्य हमारे संविधान की मौलिक संरचना में अन्तर्भुक्त हैं जिनका धारा 368 के अधीन संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रमुख वादों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कीजिए।

The goals specified in the Preamble contain basic structure of our Constitution, which cannot be amended under Article 368. Elaborate in context of leading cases. 25

Q. 3(b) आपातकाल की सरकारी घोषणा के दुष्प्रयोग को रोकने के लिए संवैधानिक संशोधन ($44^{th}$) द्वारा कौनसी निर्बंधनों का प्रावधान किया गया है ? चर्चा कीजिए।

What restrictions have been imposed by the Constitutional Amendment ($44^{th}$) to check misuse of proclamation of emergency ? Discuss. 25

**Q. 4. निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणियां लिखिए :—**

**Write critical notes on the following :— 50**

Q. 4(a) अवशिष्ट अधिकार।

Residuary Powers. 15

Q. 4(b) क्या धारा 19 के उल्लंघन हेतु निवारक निरोध से सम्बन्धित नियम को चुनौती दी जा सकती है ?

Whether law relating to preventive detention can be challenged for violation of Article 19 ? 15

Q. 4(c) समान सिविल संहिता की पुर:स्थापना।

Introduction of Uniform Civil Code. 20

## खण्ड—ब

## SECTION—B

Q. 5(a) "अन्तर्राष्ट्रीय वैधिक नियमों का घरेलू विधियों में बढ़ते हुए अनुगमन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय एवं नगरपालिका कानून के दो स्वायत्व क्षेत्रों के बीच व्यवस्थित विशिष्टता कुछ हद तक दुर्बोध्य हो गई।" भारतीय पद्धति के विशेष सन्दर्भ में व्याख्या कीजिए। प्रथा एवं सन्धियों से उद्भूत अन्तर्राष्ट्रीय वैधिक नियम कैसे घरेलू एजेन्सियों के कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं ?

"Due to increasing penetration of international legal rules within the domestic systems, the distinction maintained between two autonomous zones of international and municipal law has been somewhat blurred."

Explain with special reference to Indian practice. How international legal rules emanating from customs and treaties, influence the actions of domestic agencies ? 10

Q. 5(b) बहुपार्श्वीय संधि समापन करते समय एक राष्ट्र कुछ प्रतिबंध (शर्त) रख सकता है तथा अन्य राष्ट्र उन शर्त/शर्तों को, संधि के उद्देश्य एवं अखण्डता को किसी प्रकार विपन्नता में डाले बिना स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

उपरोक्त कथन के संदर्भ में संधि कानून में प्रतिबंध की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए।

While concluding a multilateral treaty, a State can make reservation(s) and the other State(s) may accept or reject such reservation(s) without jeopardising the object and integrity of the treaty.

Discuss the need and relevance of reservations in treaty law in the light of above statement. 10

Q. 5(c) महाद्वीपीय शेल्फ, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एवं खुला सागर पर तटीय राष्ट्र के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को जैसे समुद्र के कानून (III), 1982 पर राष्ट्रसंघ अभिसमय के प्रावधानों के अधीन परिभाषित है, समझाइये।

Explain the rights and duties of coastal state over continental shelf, exclusive economic zone and high seas as defined under the provisions of UN Convention on Law of Sea (III), 1982. 10

Q. 5(d) मत संख्या 2 (Opinion No. 2) में, यूगोस्लाविया पर "The Arbitration Commission of European Conference" ने स्पष्ट शब्दों में ये उच्चारण किया कि "यह भली-भांति प्रतिष्ठित है कि परिस्थिति जैसी भी हो, स्व-निर्धारण के अधिकार में, 'स्वतन्त्रता प्राप्तिकाल में विद्यमान सीमान्त प्रदेशों में किसी प्रकार के परिवर्तन' शामिल नहीं होंगे (Uti possidetis juris) सिवाय (व्यतिक्रम) यह कि संश्लिष्ट राष्ट्र अन्यथा (पक्षांतर) एकमत हों।"

कम से कम एक प्रकृत घटना (नजीर) की सहायता से उभय अन्तर्राष्ट्रीय संविदाओं में अन्तर्भुक्त मानव अधिकार के रूप में स्व-निर्धारण के सिद्धान्त की वर्तमानकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए।

The Arbitration Commission of European Conference on Yugoslavia emphasised in opinion no. 2 that "it is well established that whatever the circumstances, the right to self-determination must not involve changes to existing frontiers at the time of independence (Uti possidetis juris) except where the states concerned agree otherwise."

Explain the present day relevance of principle of self-determination as a human right incorporated in both the international covenants with the help of at least one actual instance. 10

Q. 5(e) "किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे देश से जिससे उसका प्रमापिक संबंध नहीं है, प्राप्त नागरिकता को मान्यता देने के लिए कोई राज्य बाध्य नहीं होते।"

[Nottebohm case (second phase) ICJ, 1955]

उपरोक्त कथन के संदर्भ में "राष्ट्रीयता" की अवधारणा एवं इसके अर्जन को उपयुक्त घटनाओं की सहायता से समझाइये।

"States are not under a duty to recognize a nationality acquired by a person who has no genuine link or connection with the naturalizing state."

[Nottebohm case (second phase) ICJ, 1955]

In the light of above statement, explain the concept of 'nationality' and its acquisition with the help of suitable instances. 10

Q. 6(a) "रूढ़िजन्य विधि के सार की जानकारी प्राथमिकत: विद्यमान पद्धति एवं राज्यों के 'opinio juris' में खोजनी चाहिए।" उपरोक्त कथन के संदर्भ में एवं वाद कानून का उल्लेख करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में एक विशिष्ट प्रथा को ग्रहण करने में वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ तत्वों के बीच पारस्परिक प्रभाव को समझाइये।

"The substance of customary law must be looked into primarily in actual practice and 'opinio juris' of the States." In the light of above statement and by referring to case law, explain the interplay between objective and subjective elements in acceptance of a particular custom as a source of international law. 25

Q. 6(b) "राष्ट्रीयता के लिए वैधिक जरूरतों को सम्पादन करने वाले एक नये राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन मान्यता देने के लिए राष्ट्रसमूह कर्तव्य बाध्य है किन्तु ऐसे कर्तव्य की विद्यमानता राष्ट्रों के पूर्व नजीर एवं प्रथाओं द्वारा समर्थित नहीं होती। मान्यता देने या न देने में राष्ट्र के निर्णय अत्यावश्यक नीति का विषय है जिसको तय करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र स्वयं अधिकृत है।" न्यायसंगत (de facto) एवं कानूनन (de jure) मान्यता के सम्बन्ध में घटनाओं की सहायता से, तर्क व सामंजस्य द्वारा बताइए कि राष्ट्र की मान्यता सम्बन्धी लाउटरपैक्ट (बाध्यतामूलक) एवं पोदेस्टा कॉस्टा (दक्षतात्मक) द्वारा दिए गये इन दो कथनों (चरम मतवादों) में कौन-सा अधिक उपयुक्त है ?

"States are subject to a duty under International Law to recognise a new State fulfilling the legal requirements of Statehood, but the existence of such a duty is not borne out by the weight of precedents and practices of States. The decision of a State in according or withholding recognition is a matter of vital policy that each State is entitled to take by itself." Reconcile and argue which of these two statements (extreme views) regarding recognition of a State given by Lauterpacht (obligatory) and by Podesta Costa (Facultative) is more appropriate, with the help of instances in regard to *de facto* and *de jure* recognition. 25

Q. 7(a) अन्तर्राष्ट्रीय कानून में "आवश्यकता" एवं "अनुपातिकता" अवधारणाएं आत्म-रक्षा के केन्द्र हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर एवं 'आसन्न आक्रमण तथा शास्त्रसज्जा में उन्नति' के कारण 'अधिकारात्मक' या 'प्रत्याशी' आत्म-रक्षा में इनके विस्तारण के निकटवर्तिता प्रवृत्ति के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।

The concepts of 'necessity' and 'proportionality' are at the heart of self-defence in International Law. Explain, in the light of UN Charter and recent trend of extending these to 'pre-emptive' or 'anticipatory' self-defence due to 'the imminence of attacks and advancement in armaments'. 25

Q. 7(b) तीन व्यक्तियों (L, M एवं N) का एक दल देश-A के नागरिक हैं, A के प्रमुख अन्वेषक एजेन्सी के अधिकारी के रूप में मिथ्या परिचय देकर एक विशाल ज्वैलरी दुकान में डकैती करने के बाद देश-B में पलायन करते हैं जहां उनको आश्रय दिया जाता है। देश-A की सरकार देश-B को उनके बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार L, M एवं N को प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करती है। देश-B इंकार करता है। देश-A देश-B में गुप्तचर भेजता है, जो L, M एवं N को हरण कर ले आते हैं एवं देश-A में न्यायालय के सामने उनको प्रस्तुत करते हैं। 'A' द्वारा बल प्रयोग के विरुद्ध 'B' ICJ के पास जाता है। तैयार कीजिए : (i) A के लिए संक्षिप्त तर्कावली, (ii) B के लिए संक्षिप्त तर्कावली, (iii) न्यायालय के अभिमत।

A group of three men (L, M and N) citizens of country A, posing as officers of premier investigating agency of A, rob a huge jewellery shop and then flee away to country B, where they are granted asylum. Government of A, requests B to extradite L, M and N in terms of extradition treaty between them. B declines. A sends spies to B who abduct L, M and N and who produce them before the Court in A. 'B' approaches ICJ against use of force by 'A'. Prepare (i) A brief of arguments for A, (ii) A brief of arguments for B, (iii) Opinion of the Court. 25

Q. 8(a) संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर (UN Charter) के परिच्छेद-VI अन्तर्राष्ट्रीय कलह के शांतिपूर्ण समाधानार्थ समर्पित हैं। उल्लेखित विधियों की चर्चा कीजिए एवं इस सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद एवं महासभा की भूमिका स्पष्ट कीजिए एवं अध्याय-VII में उल्लेखित उपायों के आश्रय लिए बिना उक्त समाधान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी स्पष्ट कीजिए।

Chapter VI of UN Charter is devoted to peaceful settlement of International Disputes. Discuss the methods mentioned and explain the role of Security Council and General Assembly in this regard, and the role such settlement plays in obviating the need to resort to Chapter VII measures. 25

Q. 8(b) यूरोपीय संघ (European Union) के एक सदस्य राष्ट्र को निम्नलिखित के बारे में प्रत्यक्ष-दर्शन हुआ है :

सेनावाहिनी द्वारा शासन व्यवस्था दखल के परिणामस्वरूप बहुविस्तारित अराजकता, सर्वप्रकार के मीडिया एवं संचार माध्यम में प्रतिबन्धकता, बहिष्कृत नेता से हमदर्दी रखनेवाले नागरिकों पर आक्रमण व उनकी हत्याएं, ईंधन (fuel) एवं खाद्य-सामग्री जैसे उपभोग्य वस्तु पर कठोर राशनिंग एवं नियंत्रण तथा इसके परिणामस्वरूप प्रचण्ड मुद्रास्फीति। मानव अधिकार के इन गंभीर उल्लंघनों के संदर्भ में निम्नोक्त की भूमिका का परीक्षण कीजिए :

(i) सुरक्षा परिषद

(ii) मानव अधिकार के यूरोपीय न्यायालय।

A member of European Union has witnessed widespread disturbances, consequent upon a military *coup*, including censorship on all forms of media and communication, targeting civilians sympathetic with the ousted leader by assaulting and killing, severe rationing and control on essential commodities such as fuel and food resulting into galloping inflation. In the light of these grave violations of human rights, examine the role of :

(i) Security Council

(ii) European Court of Human Rights. 25